न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 272/2024

अनवान : –

1. सपना पुत्री कृष्ण कुमार जाति धानक जरिये नाबालिग जरिये बली कुदरती माता सरोज पत्नी कृष्ण कुमार जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर हाल निवासी उम्मेद पुरा तहसील राणीया जिला हरियाणा।

– सायल

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चुरू।
5. पंजीयक कार्यालय तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरू।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 28/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 203/199 के ख0न0 188 की 8.6000 हैक्ट, ख0न0 180 की 2.4410 हैक्ट, ख0न0 192 की 7.2090 हैक्ट कुल तादादी 18.2500 हैक्ट जिसमें संयुक्त रूप से सायला का पिता गैरसायल स0 1 का 1/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू के खाता स0 171/157 के ख0न0 1367/348 की 1.7450 हैक्ट, ख0न0 1369/348 की 3.8820 हैक्ट भूमि, ख0न0 354 की 3.6797 हैक्ट कुल 9.3067 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से सायला का पिता गैरसायल स0 1 का 1/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायला के दादा सुरजाराम के नाम दर्ज थी तथा सायला के दादा सुरजाराम फौत हो चुके है उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में उपरोक्तानुसार भूमि दर्ज हुई है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज हुई है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम [illegible] हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से [illegible] उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल का [illegible] होगी अतः अप्रार्थी [illegible] के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का [illegible]स्तारण न हो तब त[illegible] व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:11:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 203/199 के ख0न0 188 की 8.6000 हैक्ट, ख0न0 180 की 2.4410 हैक्ट, ख0न0 192 की 7.2090 हैक्ट कुल तादादी 18.2500 हैक्ट भूमि में से 1 का 1/10 हिस्सा भूमिएवं रोही मौजा बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू के खाता स0 171/157 के ख0न0 1367/348 की 1.7450 हैक्ट, ख0न0 1369/348 की 3.8820 हैक्ट भूमि, ख0न0 354 की 3.6797 हैक्ट कुल 9.3067 हैक्ट भूमि मे से 1/10 हिस्सा भूमि जो की गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है सायल का उत्तरदाता से किसी प्रकार का संबंध नही है सायला बुधराम की पुत्री है एवं सरोज स्वयं की अप्रार्थी स0 1 यानि की उत्तरदाता की पत्नी बता रही है जबकि सरोज बुधराम की पत्नी है सायल द्वारा यह भूमि हड़पने के नियम से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायला की माता गैरसायल स0 1 के भाई देवीलाल व दीपाराम की विधवा साली है सायल गैरसायल की उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहती है जो की इस न्यायलय के क्षेत्राधिकार का नही है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि पूर्व में सायला के दादा सुरजाराम के नाम दर्ज थी तथा सायला के दादा सुरजाराम फौत हो चुके है उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में उपरोक्तानुसार भूमि दर्ज हुई है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज हुई है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। सायला बुधराम की पुत्री नही है क्योंकि बुधराम की मृत्यु 02.09.2005 को हुई है जबकि सायला का जन्म दिनांक 20.08.2007 को हुआ है इसलिए सायल बुधराम की पुत्री नही है। सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज होने से गैरसायल उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है अतः इनके विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है सायल का उत्तरदाता से किसी प्रकार का संबंध नही है सायला बुधराम की पुत्री है एवं सरोज स्वयं की अप्रार्थी स0 1 यानि की उत्तरदाता की पत्नी बता रही है जबकि सरोज बुधराम की पत्नी है सायल द्वारा यह भूमि हड़पने के नियम से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायला की माता गैरसायल स0 1 के भाई देवीलाल व दीपाराम की विधवा साली है सायल गैरसायल की उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहती है जो की इस न्यायलय के क्षेत्राधिकार का नही है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:11:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

अप्रार्थी का कथन है कि सायला गैरसायल स0 1 की पुत्री नही है सायला बुधराम की पुत्री है एवं सायला द्वारा यह भूमि हड़पने के मकसद से दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा मृत्यु प्रमाण बहक बुधराम पेश किया गया है एवं मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र बुधराम की मृत्यु दिनांक 14.09.2025 को हुई है एवं प्रार्थीया की जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक प्रार्थीया का जन्म दिनांक 20.08.2007 को हुआ है। उक्त दस्तावेजों के मुताबिक प्रथम दृष्टया प्रार्थीया, बुधराम की संतान होना साबित नही होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा गैरसायल स0 1 के उत्तराधिकारी बाबत यह दावा पेश किया गया है जबकि प्रार्थीया का कथन है कि गैरसायल स0 1 प्रार्थीया का पिता है एवं उक्त भूमि में प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा उक्त समस्त तथ्य मूल वाद में तय होने है कि प्रार्थीया गैरसायल स0 1 की वारिस है या नही एवं प्रार्थीया का उक्त भूमि में हक हिस्सा है या नही। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 203/199 की कुल तादादी 18.2500 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बनियाला तहसील तारानगर जिला चुरू के खाता स0 171/157 के ख0न0 1367/348 की 1.7450 हैक्ट, ख0न0 1369/348 की 3.8820 हैक्ट भूमि, ख0न0 354 की 3.6797 हैक्ट कुल 9.3067 हैक्ट भूमि मे से 1/10 हिस्सा भूमि जो की गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 13:11:50 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर